



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042025-262341
CG-DL-E-08042025-262341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118]
No. 118]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2025/चैत्र 18, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2025/CHAITRA 18, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2025

विषय: इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना

1. पृष्ठभूमि

1.1 फा. सं. W/49/2024-आईपीएचडब्ल्यू.—डिजिटलीकरण के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व स्तर पर सबसे अधिक कारोबार करने वाले और सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। जैसे-जैसे डिजिटलीकरण आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने और देश के आर्थिक और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है, इसलिए इसका आर्थिक और रणनीतिक महत्व है। इसका आर्थिक महत्व इसके प्रत्यक्ष योगदान से परे है, क्योंकि यह एक मूलभूत उद्योग है जो अन्य क्षेत्रों में प्रगति को प्रभावित करता है, समर्थन करता है और सक्षम बनाता है।

1.2 वर्ष 2022 में, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 4.3 खरब अमेरिकी डॉलर था। इनमें से तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का योगदान लगभग ढाई खरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का योगदान लगभग 1.8 खरब अमेरिकी डॉलर था। (स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल)

- 1.3 इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने देश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम, इलेक्ट्रानिक्स 2019 पर राष्ट्रीय नीति और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) को अधिसूचित किया था। इन पहलों के परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन पांच गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2014-15 में ₹ 1.9 लाख करोड़ (30 अरब अमेरिकी डॉलर) से वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 9.52 लाख करोड़ (115 अरब अमेरिकी डॉलर) (उद्योग के आंकड़े) हो गया और यह 17% से अधिक के संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर हुआ है।
- 1.4 इसके अलावा, पीएलआई योजना बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण (एलएसईएम) ने भी मोबाइल फोन के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास को भी गति दी है, जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 81,822 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 43% से अधिक की सीएजीआर पर ₹ 2,41,157 करोड़ हो गया है।
- 1.5 अप्रैल 2020 में शुरू की गई पी. एल. आई. योजना (एलएसईएम) के लिए की सफलता के कारण तैयार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात कमोबेश स्थिर रहा है। हालांकि, तैयार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटकों के आयात में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि हुई है।
- 1.6 नीति आयोग ने जुलाई 2024 में जारी अपनी रिपोर्ट "इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जी. वी. सी.) में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना" में घटक और सब-असेम्बली निर्माताओं के सामने आने वाली कई चुनौतियों का उल्लेख किया है। ये हैं: (i) उच्च अग्रिम पूंजीगत व्यय आवश्यकता, (ii) उच्च निवेश से टर्नओवर अनुपात, (iii) लंबी परिपक्वता अवधि, (iv) परिमाण की कमी; और (v) तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाना।
- 1.7 इसलिए, भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए, घटक और सब-असेम्बली के घरेलू विनिर्माण के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना अनिवार्य है। घटक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का केंद्र हैं और तैयार उत्पाद के कुल मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। घरेलू कलपुर्जों के निर्माण से न केवल घरेलू मूल्यवर्धन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि आयात को कम करके महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी।
- 1.8 इसलिए, भारत में घटक विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले कारकों को संबोधित करने के लिए केंद्रित सब-असेम्बली और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और निर्माण के लिए एक नीतिगत पहल भी आवश्यक है।
- 1.9 नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में घटक निर्माण के लिए वित्तीय हस्तक्षेप और भारत को इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में अधिक रोजगार पैदा करने में मदद करने के लिए सुधारों के संदर्भ में एक नीतिगत पहल के लिए भी सिफारिशें की हैं।
- 1.10 इस तरह के नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू निर्माताओं को जी. वी. सी. के आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाएगा। इससे न केवल घरेलू मांग बल्कि निर्यात को भी पूरा करने के लिए मूल्यवर्धन के माध्यम से वांछित पैमाने और प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इससे विनिर्माण क्षेत्र में युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
- 1.11 तदनुसार, घटक निर्माण के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करके "इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में आत्मनिर्भरता" प्राप्त करने के लिए उद्योग के समक्ष आ रही बाधाओं और अन्य चुनौतियों को दूर करने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना' तैयार की गई है।

2. 'इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना'

यह योजना उद्योग के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों के आधार पर लक्षित खंड के उत्पादों पर (ए) पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन (बी) टर्नओवर व्यय प्रोत्साहन और (सी) संकर प्रोत्साहन (यानी (ए) और (बी) दोनों का संयोजन) के संदर्भ में अलग-अलग राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

3. उद्देश्य

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला में निवेश (वैश्विक/घरेलू) को आकर्षित करके मजबूत घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिससे घरेलू मूल्य संवर्धन (डी. वी. ए.) में वृद्धि होगी और अपने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जी. वी. सी.) के साथ एकीकृत करके वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी।

4. लक्ष्य खंड

इस योजना के तहत लक्षित खंड इस प्रकार होंगेः

क्र.सं.	लक्ष्य खंड
ए	सब-असेम्बली
1	डिस्प्ले मॉड्यूल सब-असेम्बली
2	कैमरा मॉड्यूल सब-असेम्बली
बी	बेयर घटक
3	नॉन-सर्फेस माउंट डिवाइस (नॉन-एसएमडी) इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए पैसिव घटक (संलग्नक ए (I) में उदाहरण सूची)
4	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (संलग्नक ए (I) में उदाहरण सूची)
5	मल्टी-लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी)
6	डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए लिथियम-आयन सेल (भंडारण और गतिशीलता को छोड़कर)
7	मोबाइल, आईटी हार्डवेयर उत्पादों और संबंधित उपकरणों के लिए एन्क्लोजर्स
सी	चयनित बेयर घटक
8	हाई डेन्सिटी इंटरकनेक्ट (एच.डी.आई.)/ मॉडिफाइड सेमी- एडिटिव प्रक्रिया (एम.एस.ए.पी.)/ फ्लेक्सिबल पी. सी. बी.
9	एसएमडी पैसिव घटक
डी	आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादन सहायक उपकरण
10	सब-असेम्बली (ए) और बेयर घटक (बी) और (सी) के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले भाग/घटक (संलग्नक ए (I) में निदर्शी सूची)
11	इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पादन सहायक उपकरण जिनमें उनकी उप-इकाइयाँ और घटक शामिल हैं

5. प्रोत्साहन का प्रकार और मात्रा

यह योजना टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन, पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन और मिश्रण प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन का अर्थ होगा विभिन्न लक्षित क्षेत्रों और उनमें शामिल उत्पादों के लिए अनुलग्नक ए (II) में दिए गए प्रोत्साहन की दर के अनुसार आधार वर्ष की तुलना में वृद्धिशील कारोबार/बिक्री के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन।

पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन का अर्थ होगा विभिन्न लक्षित क्षेत्रों और उनमें शामिल उत्पादों के लिए अनुलग्नक ए (III) में दिए गए प्रोत्साहन की दर के अनुसार लक्षित खंड की वस्तुओं के निर्माण के लिए योग्य पूंजीगत व्यय पर प्रोत्साहन। पूंजीगत प्रोत्साहन के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया स्थापित की जाएगी जो कि एक आवेदक द्वारा वास्तविक पूंजीगत व्यय का आकलन करेगा। इसके अलावा, संवितरण केवल वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद ही किया जाएगा।

मिश्रण प्रोत्साहन का अर्थ होगा विभिन्न लक्षित खंडों और उनमें शामिल उत्पादों के लिए अनुलग्नक ए (II) में दिए गए प्रोत्साहन की दर के अनुसार लक्षित खंड की वस्तुओं के निर्माण के लिए टर्नओवर से जुड़े प्रोत्साहन और पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन का संयोजन।

इस योजना के तहत लक्षित क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के प्रकार इस प्रकार हैंः

क्र.सं.	प्रोत्साहन श्रेणी	लक्ष्य सेगमेंट
1	टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन	ए. सब-असेम्बली और बी. बेयर घटक
2	मिश्रण प्रोत्साहन	सी. चयनित बेयर घटक
3	पूंजीगत प्रोत्साहन	डी. सब-असेम्बली और बेयर घटक की आपूर्ति श्रृंखला और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन सहायक उपकरण

6. प्रोत्साहन का आधार

- 6.1 टर्नओवर से जुड़ा प्रोत्साहन भारत में निर्मित लक्षित खंड वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के दौरान) पर दिया जाएगा। टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन के संवितरण के लिए, वृद्धिशील बिक्री और संचयी वृद्धिशील निवेश अनिवार्य मानदंड होंगे। संलग्नक ए (II) में उल्लिखित कुल टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन दर में से, 1% केवल संलग्नक ए (III) के अनुसार संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा मानदंडों को पूरा करने पर वितरित किया जाएगा। यदि कोई आवेदक वृद्धिशील बिक्री सीमा और संचयी वृद्धिशील निवेश सीमा को पूरा करता है और संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा को पूरा करने में असमर्थ है, तो टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन संलग्नक ए (II) में निर्दिष्ट दर से कारोबार के 1% के बराबर कटौती करके दिया जाएगा।
- 6.2 भारत में लक्षित खंड उत्पादों के विनिर्माण के लिए संलग्नक ए (II) में दी गई दरों के अनुसार पूंजीगत व्यय पर पूंजीगत प्रोत्साहन दिया जाएगा। पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन के वितरण के लिए, निवेश सीमा को पूरा करना और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना अनिवार्य मानदंड होंगे। कुल पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन दर (25%) में से, पूंजीगत व्यय का 5% केवल संलग्नक ए (III) के अनुसार संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा को पूरा करने पर वितरित किया जाएगा। यदि कोई आवेदक निवेश सीमा और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की सीमा को पूरा कर रहा है और संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा को पूरा करने में असमर्थ है, तो संलग्नक ए (II) में निर्दिष्ट दर से पूंजीगत व्यय का 5% घटाकर पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 6.3 लक्ष्य खंड विशिष्ट मानदंड, यदि कोई हो, तो योजना के दिशा-निर्देशों में तय किए जाएंगे।

7. योजना की अवधि

- 7.1 योजना के तहत टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन छह (6) वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। वैकल्पिक आधार पर एक (1) वर्ष की परिपक्वता अवधि का भी प्रावधान होगा।
- 7.2 लक्ष्य खंडों (ए) सब-असेम्बली, (बी) बेयर घटक और (सी) चयनित बेयर घटक के लिए, यह योजना 1 मई 2025 से शुरू में तीन (3) महीने की अवधि के लिए आवेदनों के लिए खुली होगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है। उद्योग से मिली प्रतिक्रिया और बजट उपलब्धता के आधार पर इसे अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी आवेदनों के लिए फिर से खोला जा सकता है।
- 7.3 टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन के लिए, वृद्धिशील बिक्री के उद्देश्य से पहले वर्ष की गणना 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की जाएगी। परिपक्वता अवधि का विकल्प चुनने वालों के लिए, इसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक माना जाएगा। इसके अलावा, संचयी वृद्धिशील निवेश को योजना अधिसूचना की तारीख से गिना जाएगा।
- 7.4 लक्षित खंडों के लिए (डी) सब-असेम्बली और बेयर घटक की आपूर्ति श्रृंखला और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन सहायक उपकरणों के लिए, यह योजना 1 मई 2025 से शुरू में दो (2) वर्षों की अवधि के लिए आवेदनों के लिए खुली होगी। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया जाएगा और योजना के तहत दी गई मंजूरी के अनुसार कार्यान्वयन आगे बढ़ेगा। आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 5 साल के भीतर किए गए निवेश के लिए राजकोषीय सहायता उपलब्ध होगी।

8. योग्यता

- 8.1 लक्षित खंड के लिए ग्रीनफील्ड के साथ-साथ ब्राउनफील्ड निवेश भी इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- 8.2 एक आवेदक प्रत्येक लक्षित खंड उत्पादों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 8.3 लक्ष्य खंड के अंतर्गत आने वाले एक ही उत्पाद के लिए कई बार आवेदन करने वाला आवेदक पात्र नहीं होगा।
- 8.4 आवेदकों की योग्यता समेकित वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) राजस्व या विनिर्माण राजस्व/तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर निर्णय लिया जाएगा और योजना के दिशानिर्देशों में विस्तृत किया जाएगा।

9. आधार वर्ष

वित्तीय वर्ष 2024-25 को योजना के तहत टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा। आवेदक एक वर्ष की परिपक्वता अवधि का विकल्प चुन सकता है और ऐसे मामलों में, आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 होगा।

10. बजट परिव्यय

इस योजना का बजट परिव्यय प्रशासनिक खर्चों सहित ₹ 22,919 करोड़ है। योजना के अंतर्गत लक्षित खंडों के लिए प्रोत्साहन परिव्यय निधि की आवश्यकता और स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आपस में परिवर्तनीय होगा।

11. गणना का आधार

- 11.1 योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, आवेदक को संलग्नक ए (III) में उल्लिखित सीमा मानदंडों को पूरा करना होगा।
- 11.2 टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन की गणना आवेदकों द्वारा मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को किए गए संचयी वृद्धिशील निवेश, लक्षित खंड के तहत विनिर्मित वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री और संचयी वृद्धिशील रोजगार के संबंध में प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर की जाएगी।
- 11.3 पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन की गणना आवेदकों द्वारा मंत्रालय/परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को किए गए पूंजीगत व्यय, वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत और संचयी वृद्धिशील रोजगार के सृजन के संबंध में प्रस्तुत किए गए व्यौरों के आधार पर की जाएगी।
- 11.4 प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार की किसी अन्य योजना के तहत विचार किए गए किसी भी निवेश/बिक्री को इस योजना के तहत योग्य निवेश/बिक्री के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 11.5 प्रोत्साहन के लिए योजना के तहत दावे पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

12. अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया

अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया को योजना के दिशानिर्देशों में देखा जाएगा।

13. शासन तंत्र

- 13.1 यह योजना मंत्रालय द्वारा एक नोडल एजेंसी के माध्यम से लागू की जाएगी, जो एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी. एम. ए.) के रूप में कार्य करेगी। पी. एम. ए. आवेदन प्राप्त करने, आवेदनों की जांच करने, एकनॉलेज पत्र जारी करने और विचार के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 13.2 सचिव, एमईआईटीवाई की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी शासी परिषद (जीसी) का गठन होगा और इसमें नीति आयोग, व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, दूरसंचार विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे।
- 13.3 पीएमए द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा जी. सी. करेगा और विचार और अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को सिफारिशें करेगा।

14. योजना दिशानिर्देश

योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से अलग से जारी किए जाएंगे।

15. योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन

जी. सी. की सिफारिश और माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन पर समय-समय पर लक्ष्य खंड (ओं), लागू प्रोत्साहन दरों, योजना की अवधि, निवेश की सीमा, बिक्री और रोजगार, परिपक्वता अवधि, या योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक माने जाने वाले किसी भी अन्य मामले के तहत आने वाले उत्पादों के संबंध में योजना और इसके दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन किया जा सकता है।

सुशील पाल, संयुक्त सचिव

संलग्नक ए(I)

कुछ लक्षित खंडों के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पादों की सूची

क्र.सं.	लक्ष्य सेगमेंट	शामिल किए गए उत्पाद
1	नॉन -एसएमडी पैसिव घटक	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए रेजिस्टर, कैपेसिटर, फेराइट्स, स्पेशलिटी सिरेमिक्स, इन्डक्टर, कॉइल (इन्डकटिव कॉइल सहित), आदि
2	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए आईसीटी उत्पादों, रिले, स्विच, कनेक्टर्स, हीट सिंक, एंटीना, वाइब्रेटर मोटर्स, ऑसिलेटर, फिल्टर, एक्ज्यूटर्स, क्रिस्टल, सेंसर (गैर-अर्धचालक), ट्रांसड्यूसर आदि के लिए स्पीकर और माइक्रोफोन
3	सब-असेम्बली और बेयर घटक की आपूर्ति श्रृंखला	लेमिनेट, प्री-पेग, कॉपर फॉयल, सेपरेटर, कैथोड सामग्री, एनोड सामग्री, इलेक्ट्रोलाइट, पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म, स्प्रे वायर, लेंस, सुरक्षात्मक फिल्म, ग्लास कवर, बैक लाइट, कंट्रास्ट फिल्म, पोलराइज़र फिल्म, आदि। (यह एक उदाहरण सूची है और आपूर्ति श्रृंखला की एक विस्तृत सूची नहीं है।)

संलग्नक ए(II)

लक्ष्य खंड और प्रोत्साहन दरें

क्र.सं.	लक्ष्य खंड	संचयी निवेश (₹)	टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन (%)	पूंजीगत प्रोत्साहन (%)
ए	सब-असेम्बली			
1	डिस्प्ले मॉड्यूल सब-असेम्बली	250 करोड़	4/4/3/2/2/1	लागू नहीं
2	कैमरा मॉड्यूल सब-असेम्बली	250 करोड़	5/4/4/3/2/2	लागू नहीं
बी	बेयर घटक			
3	नॉन -एसएमडी पैसिव घटक	50 करोड़	8/7/7/6/5/4	लागू नहीं
4	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल	50 करोड़	8/7/7/6/5/4	लागू नहीं
5	मल्टी-लेयर पीसीबी#	50 करोड़	≤ 6 परतें 6/6/5/5/4/4 ≥ 8 परतें 10/8/7/6/5/5	लागू नहीं
6	डिजिटल अनुप्रयोग के लिए लिथियम -आयन सेल (भंडारण और गतिशीलता को छोड़कर) #	500 करोड़	6/6/5/5/4/4	लागू नहीं
7	मोबाइल, आईटी हार्डवेयर उत्पादों और संबंधित उपकरणों के लिए एन्क्लोजर्स	500 करोड़	7/6/5/4/4/3	लागू नहीं
सी	चयनित बेयर घटक			
8	एचडीआई/एमएसएपी/ फ्लेक्सिबल पीसीबी	1000 करोड़	8/7/7/6/5/4	25%
9	एसएमडी पैसिव घटक	250 करोड़	5/5/4/4/3/3	25%

क्र.सं.	लक्ष्य सेगमेंट	न्यूनतम निवेश (₹)	टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन (%)	पूँजीगत प्रोत्साहन (%)
डी	आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र और पूँजी उपकरण			
10	सब-असेम्बली की आपूर्ति श्रृंखला (ए) और बेयर घटक (बी) और (सी)	10 करोड़	लागू नहीं	25%
11	सब-असेम्बली और बेयर घटक की आपूर्ति श्रृंखला और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन सहायक उपकरण	10 करोड़	लागू नहीं	25%

#आवेदक मल्टी-लेयर पी.सी.बी. निर्माण के लिए लैमिनेट की घरेलू सोर्सिंग/निर्माण और लिथियम -आयन सेल निर्माण के लिए कैथोड एक्टिव मटेरियल (सी.ए.एम.) पर क्रमशः 1% और 2% के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा।

संलग्नक ए(III)

लक्ष्य खंडों के लिए थ्रेशोल्ड मानदंड

लक्ष्य खंड	वर्ष	संचयी वृद्धिशील निवेश सीमा (करोड़ ₹)	वृद्धिशील बिक्री सीमा (करोड़ ₹)	संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा (सं)
(1) - डिस्प्ले मॉड्यूल	वर्ष 1	50	200	50
	वर्ष 2	100	400	100
	वर्ष 3	150	600	150
	वर्ष 4	200	800	200
	वर्ष 5	250	1,000	250
	वर्ष 6	-	1,200	300
(2) - कैमरा मॉड्यूल	वर्ष 1	50	150	75
	वर्ष 2	100	300	150
	वर्ष 3	150	450	225
	वर्ष 4	200	600	300
	वर्ष 5	250	750	375
	वर्ष 6	-	900	450
(3 & 4) - नॉन -एसएमडी पैसिव घटक और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल	वर्ष 1	10	15	30
	वर्ष 2	20	30	60
	वर्ष 3	30	45	90
	वर्ष 4	40	60	120
	वर्ष 5	50	75	150
	वर्ष 6	-	90	180

लक्ष्य खंड	वर्ष	संचयी वृद्धिशील निवेश सीमा (करोड़ ₹)	वृद्धिशील बिक्री सीमा (करोड़ ₹)	संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा (सं)
(5) - मल्टी-लेयर पीसीबी	वर्ष 1	10	15	15
	वर्ष 2	20	30	30
	वर्ष 3	30	45	45
	वर्ष 4	40	60	60
	वर्ष 5	50	75	75
	वर्ष 6	-	90	90
(6) - डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए लिथियम -आयन सेल (भंडारण और गतिशीलता को छोड़कर)	वर्ष 1	100	200	100
	वर्ष 2	200	400	200
	वर्ष 3	300	600	300
	वर्ष 4	400	800	400
	वर्ष 5	500	1,000	500
	वर्ष 6	-	1,200	600
(7) - मोबाइल, आईटी हार्डवेयर उत्पादों और संबंधित उपकरणों के लिए एन्क्लोजर	वर्ष 1	100	200	120
	वर्ष 2	200	400	240
	वर्ष 3	300	600	360
	वर्ष 4	400	800	480
	वर्ष 5	500	1,000	600
	वर्ष 6	-	1,200	720
(8) - एचडीआई/एमएसएपी/फ्लेक्सिबल पीसीबी	वर्ष 1	200	200	200
	वर्ष 2	400	400	400
	वर्ष 3	600	600	600
	वर्ष 4	800	800	800
	वर्ष 5	1,000	1,000	1,000
	वर्ष 6	-	1,200	1,200
(9) - एसएमडी पैसिव घटक	वर्ष 1	50	75	100
	वर्ष 2	100	150	200
	वर्ष 3	150	225	300
	वर्ष 4	200	300	400
	वर्ष 5	250	375	500
	वर्ष 6	-	450	600

लक्ष्य खंड	वर्ष	संचयी वृद्धिशील निवेश सीमा (करोड़ ₹)	वृद्धिशील बिक्री सीमा (करोड़ ₹)	संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा (सं)
(10) - सब-असेम्बली और बेयर घटक की आपूर्ति शृंखला	-	10	वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत	10*
(11) - इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पादन सहायक उपकरण जिनमें उनकी सब-असेम्बली और घटक	-	10	वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत	20*

*यह प्रति करोड़ निवेश सांकेतिक रोजगार है, वास्तविक संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा संचयी वृद्धिशील निवेश के अनुरूप होगी।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2025

Subject: Electronics Component Manufacturing Scheme

1. BACKGROUND

- 1.1 **F. No. W/49/2024-IPHW.**—Electronics is one of the highest-traded and fastest-growing industries globally due to ongoing digitization. As digitization continues to advance, the electronics industry is expected to play a pivotal role in shaping the global economy and advancing a country's economic and technological development. Since electronics permeates all the sector of the economy, it has cross-cutting economic and strategic importance. Its economic importance extends beyond its direct contribution, as it is a foundational industry that influences, supports, and enables progress in other sectors.
- 1.2 In CY 2022, global electronics production stood at USD 4.3 trillion. Out of this, finished electronics products accounted for approximately USD 2.5 trillion, while electronics components contributed around USD 1.8 trillion. (Source: S&P Global)
- 1.3 Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) had notified Phased Manufacturing Programme, National Policy on Electronics 2019, and Production Linked Incentives (PLI) to boost electronics manufacturing in the country. As a result of these initiatives, the domestic production of electronic goods increased five times from ₹ 1.90 lakh crore (USD 30 Billion) in FY2014-15 to ₹ 9.52 lakh crore in FY2023-24 (USD 115 Bn) (industry figures) at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of more than 17%.
- 1.4 Further, the PLI scheme for Large Scale Electronics Manufacturing (LSEM) has also catalysed growth of electronics manufacturing led by mobile phones, resulting in exponential growth in electronics export from ₹ 81,822 crore in FY 2020-21 to ₹ 2,41,157 crore in FY 2023-24 at the CAGR of more than 43%.
- 1.5 Due to the success of PLI scheme for LSEM, launched in April 2020, the import of finished electronics goods has more or less remained stagnant. However, the imports of electronic components required to manufacture finished electronics goods have increased corresponding to the growth in electronics production.
- 1.6 NITI in its report “Electronics: Powering India’s Participation in Global Value Chain (GVC)” released in July 2024 enumerates multiple challenges faced by component and sub-assembly manufacturers. These are: (i) high upfront capex requirement, (ii) high investment to turnover ratio (iii) long gestation period (iv) lack of scale; and (v) catching up with technological advancements.
- 1.7 Therefore, for Bharat to move up the value chain in electronics manufacturing, it is imperative to create an enabling environment for domestic manufacturing of components and sub-assemblies. Components are the heart of electronics products and constitute a significant part of the total value of the finished product. Domestic component manufacture would not only lead to significant increase in the domestic value addition but also result in savings in significant foreign exchange by reducing imports.

- 1.8 Hence, a policy initiative for developing and manufacturing ecosystem for focused sub-assemblies and bare components of electronics is also necessary to address the factors affecting the competitiveness of component manufacturing in Bharat.
- 1.9 NITI Aayog in its report has also made recommendations for a policy initiative in terms of fiscal interventions for component manufacture and reforms to help Bharat to create more employment in electronics manufacture.
- 1.10 Such policy interventions would enable domestic manufacturers to integrate with the supply chain partners of GVCs. This would help in achieving the desired scale and competitiveness through value addition not only meeting the domestic demand but exports as well. Further, this would also result in creation of significant employment opportunities for the youth in manufacturing space.
- 1.11 Accordingly, this scheme has been formulated to overcome the disabilities and other challenges being faced by the industry to achieve “Atmanirbharta in electronics supply chain ecosystem” by offering incentives for component manufacture in Bharat.

2. ELECTRONICS COMPONENT MANUFACTURING SCHEME

The scheme provides differentiated fiscal incentives in terms of (a) turnover linked incentive (b) capex incentive and (c) hybrid incentive [i.e. combination of both (a) and (b)] on target segment products, depending on the specific challenges being faced by the industry.

3. OBJECTIVE

The objective of the proposed scheme is to develop robust component manufacturing ecosystem by attracting investments (global/domestic) across the value chain, leading to increase in Domestic Value Addition (DVA) and increase in the share of Bharat’s exports in global electronic trade by integrating its domestic electronic industry with the Global Value Chains (GVCs).

4. TARGET SEGMENT

The target segments covered under the scheme shall be as follows:

S.No.	Target segments
A	Sub-assemblies
1	Display module sub-assembly
2	Camera module sub-assembly
B	Bare components
3	Non-Surface mount devices (non-SMD) passive components for electronic applications (illustrative list at <i>Annexure A(I)</i>)
4	Electro-mechanicals for electronic applications (illustrative list at <i>Annexure A(I)</i>)
5	Multi-layer Printed Circuit Board (PCB)
6	Li-ion Cells for digital applications (excluding storage and mobility)
7	Enclosures for Mobile, IT Hardware products and related devices
C	Selected bare components
8	High-density interconnect (HDI)/ Modified semi-additive process (MSAP)/ Flexible PCB
9	SMD passive components
D	Supply chain ecosystem and capital equipment for electronics manufacturing
10	Parts/components used in manufacturing of sub-assembly (A) and bare components (B) & (C) (illustrative list at <i>Annexure A(I)</i>)
11	Capital goods used in electronics manufacturing including their sub-assemblies and components

5. TYPE AND QUANTUM OF INCENTIVE

The scheme provides incentive in the form of turnover linked incentive, capex incentive and hybrid incentive, defined as under:

Turnover linked incentive shall mean incentive as a percentage of incremental turnover/sales over base year as per rate of incentive given in *Annexure A(II)* for various target segments and products covered therein.

Capex incentive shall mean incentive on eligible capital expenditure for manufacturing of target segment goods as per rate of incentive given in *Annexure A(II)* for various target segments and products covered therein. An adequate mechanism would be put in place for assessment of actual capital expenditure by an applicant for Capex incentive. Furthermore, disbursement shall only be made after the commencement of commercial production.

Hybrid incentive shall mean combination of turnover linked incentive and capex incentive for manufacturing of target segment goods as per rate of incentive given in *Annexure A(II)* for various target segments and products covered therein.

The type of incentive offered to the target segments under the scheme are as under:

S. No.	Incentive category	Target segments
1	Turnover linked incentive	A. Sub-assemblies and B. Bare components
2	Hybrid incentive	C. Selected bare components
3	Capex incentive	D. Supply chain ecosystem and capital equipment for electronics manufacturing

6. BASIS OF INCENTIVES

6.1 The turnover linked incentive shall be given on net incremental sales (over the base year) of target segment goods manufactured in Bharat. For disbursement of turnover linked incentive, the incremental sales and cumulative incremental investment shall be mandatory criteria. Out of total turnover linked incentive rate as mentioned in *Annexure A(II)*, 1% shall be disbursed only on meeting cumulative incremental employment threshold criteria as per *Annexure A(III)*. In case, an applicant meets incremental sales threshold and cumulative incremental investment threshold and is unable to meet cumulative incremental employment threshold, the turnover linked incentive shall be given by deducting equivalent to 1% of the turnover from the specified rate at *Annexure A(II)*.

6.2 The capex incentive shall be given on eligible capital expenditure, as per rates given in *Annexure A(II)*, incurred for manufacturing of target segment products in Bharat. For disbursement of capex incentive, meeting the investment threshold and commencement of commercial production shall be mandatory criteria. Out of total capex incentive rate (25%), 5% of the capex shall be disbursed only on meeting cumulative incremental employment threshold as per *Annexure A(III)*. In case, an applicant is meeting the investment threshold and commencement of commercial production and unable to meet cumulative incremental employment threshold, the capex incentive shall be given by deducting 5% of the capex from the specified rate at *Annexure A(II)*.

6.3 Target segment specific criteria, if any, shall be dealt in the scheme guidelines.

7. TENURE OF THE SCHEME

7.1 The turnover linked incentive under the scheme shall be provided for a period of six (6) years. There shall also be a provision for one (1) year of gestation period on optional basis.

7.2 For target segments (A) sub-assemblies, (B) bare components and (C) selected bare components, the scheme shall be open for applications for a period of three (3) months initially from 1st May 2025, which may be extended. It may also be reopened for applications anytime during its tenure based on the response from the industry and budget availability.

7.3 For turnover linked incentive, the first year for the purpose of incremental sales would be counted from 1st April 2025 to 31st March 2026. For those opting for gestation period, this would be taken as 1st April 2026 to 31st March 2027. Further, the cumulative incremental investment shall be counted from the date of scheme notification.

7.4 For target segments (D) Supply chain of sub-assemblies & bare components and capital equipment for electronics manufacturing, the scheme shall be open for applications initially for a period of two (2) years from 1st May 2025. The applications received under the scheme shall be appraised on an ongoing basis and implementation shall proceed as per the approvals accorded under the scheme. The fiscal support shall be available for investment made within 5 years from the date of acknowledgement of the application.

8. ELIGIBILITY

8.1 Greenfield as well as brownfield investment for the target segment shall be eligible under the scheme.

8.2 An applicant shall submit separate applications for each Target Segment products.

8.3 An applicant making multiple applications for the same product covered under the target segment shall **not** be eligible.

8.4 The qualification of applicants shall be decided on consolidated global Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) revenue or manufacturing revenue/technological and financial capability and shall be detailed in the scheme guidelines.

9. BASE YEAR

Financial Year (FY) 2024-25 shall be treated as the base year for the computation of turnover linked incentive under the scheme. The applicant may opt for a gestation period of one year and, in such cases, base year would be FY 2025-26.

10. BUDGET OUTLAY

The budget outlay of the scheme is ₹ 22,919 crore including administrative expenses. The incentive outlay for the target segments under the scheme shall be fungible among themselves based upon the fund requirement and response received under the scheme.

11. BASIS OF COMPUTATION

11.1 To avail incentives under the scheme, the applicant must meet the threshold criteria as mentioned at *Annexure A(III)*.

11.2 Turnover linked incentive shall be computed based on the details furnished by the applicants to the Ministry/ Project Management Agency (PMA) with respect to cumulative incremental investment, net incremental sales of manufactured goods under the target segment and cumulative incremental employment generated.

11.3 Capex incentive shall be computed based on the details furnished by the applicants to the Ministry/ Project Management Agency (PMA) with respect to capital expenditure incurred, commencement of commercial production and cumulative incremental employment generated.

11.4 Any investment/ sale considered under any other Government of Bharat scheme for incentive shall not be considered as eligible investment/ sale under this scheme.

11.5 The claims under the scheme for the incentive may be submitted on a quarterly basis, subject to meeting the eligibility criteria.

12. APPROVAL AND DISBURSEMENT PROCESS

The approval and disbursement process shall be dealt in scheme guidelines.

13. GOVERNANCE MECHANISM

13.1 The scheme shall be implemented by Ministry through a nodal agency, which shall act as a Project Management Agency (PMA). The PMA shall be responsible for receiving the applications, scrutinizing the applications, issuance of acknowledgement letter, and submitting the appraisal reports for consideration.

13.2 MeitY shall constitute an inter-ministerial Governing Council (GC) chaired by Secretary, MeitY and have representatives from NITI Aayog, Department of Expenditure, Department of Economic Affairs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Department of Telecommunication, Ministry of Heavy Industries.

13.3 GC shall review the appraisal report submitted by PMA and make recommendations to competent authority for consideration and approval.

14. SCHEME GUIDELINES

The Scheme Guidelines for implementation of the scheme shall be issued by the Ministry of Electronics and Information Technology separately with the approval of the Hon'ble Minister of Electronics and Information Technology.

15. AMENDMENT IN SCHEME AND GUIDELINES

The scheme and its guidelines may be reviewed and amended, with respect to products covered under target segment(s), applicable incentive rates, tenure of the scheme, threshold of investment, sales & employment, gestation period, or any other matter considered necessary for effective implementation of the Scheme, from time-to-time on recommendation of GC and approval of the Hon'ble Minister of Electronics and Information Technology.

SUSHIL PAL, Jt. Secy.

Annexure A(I)

List of products covered under certain target segments

S. No.	Target Segments	Products covered
1	Non-SMD passive components	Resistors, Capacitors, Ferrites, Specialty Ceramics, Inductors, Coils (including inductive coil), etc. for electronic applications
2	Electro-mechanicals	Speakers & Microphones for ICT products, Relays, Switches, Connectors, Heat Sinks, Antenna, Vibrator Motors, Oscillators, Filters, Actuators, Crystals, Sensors (non-semiconductor), Transducers, etc. for electronic applications
3	Supply Chain of sub-assemblies & bare components	Laminate, Pre-Peg, Copper Foil, Separator, Cathode Material, Anode Material, Electrolyte, Polypropylene Film, Spray Wire, Lenses, Protective Film, Glass Cover, Back Light, Contrast Film, Polarizer Film, etc. for electronic applications. (This is an illustrative list and is not an exhaustive list of supply chain.)

Annexure A(II)

Target segments and incentive rates

S.No.	Target segments	Cumulative investment (₹)	Turnover linked incentive (%)	Capex incentive (%)
A	Sub-assemblies			
1	Display module sub-assembly	250 crore	4/4/3/2/2/1	NA
2	Camera module sub-assembly	250 crore	5/4/4/3/2/2	NA
B	Bare components			
3	Non-SMD passive components	50 crore	8/7/7/6/5/4	NA
4	Electro-mechanicals	50 crore	8/7/7/6/5/4	NA
5	Multi-layer PCB [#]	50 crore	≤ 6 layers 6/6/5/5/4/4 ≥ 8 layers 10/8/7/6/5/5	NA
6	Li-ion Cells for digital application (excluding storage and mobility) [#]	500 crore	6/6/5/5/4/4	NA
7	Enclosures for Mobile, IT Hardware products and related devices	500 crore	7/6/5/4/4/3	NA
C	Selected bare components			
8	HDI/MSAP/Flexible PCB	1000 crore	8/7/7/6/5/4	25%
9	SMD passive components	250 crore	5/5/4/4/3/3	25%
S.No.	Target segments	Minimum investment (₹)	Turnover linked incentive (%)	Capex incentive (%)
D	Supply chain ecosystem and Capital equipment			
10	Supply chain of sub-assemblies (A) & bare components (B) & (C)	10 crore	NA	25%
11	Capital goods used in electronics manufacturing including their sub-assemblies and components	10 crore	NA	25%

#The applicant shall be eligible for an additional incentive of 1% and 2% on domestic sourcing/manufacturing of laminate for multi-layer PCB manufacturing and of Cathode Active Material (CAM) for Li-ion cell manufacturing respectively.

Annexure A(III)

Threshold criteria for target segments

Target segments	Year	Cumulative incremental investment threshold (in ₹ Cr)	Incremental sales threshold (in ₹ Cr)	Cumulative incremental employment threshold (in No.)
(1) - Display module	Year 1	50	200	50
	Year 2	100	400	100
	Year 3	150	600	150
	Year 4	200	800	200
	Year 5	250	1,000	250
	Year 6	-	1,200	300
(2) - Camera module	Year 1	50	150	75
	Year 2	100	300	150
	Year 3	150	450	225
	Year 4	200	600	300
	Year 5	250	750	375
	Year 6	-	900	450
(3 & 4)- Non-SMD Passive & Electro-mechanical	Year 1	10	15	30
	Year 2	20	30	60
	Year 3	30	45	90
	Year 4	40	60	120
	Year 5	50	75	150
	Year 6	-	90	180
(5) - Multilayer PCB	Year 1	10	15	15
	Year 2	20	30	30
	Year 3	30	45	45
	Year 4	40	60	60
	Year 5	50	75	75
	Year 6	-	90	90
(6) - Li-ion cells for digital applications (except storage and mobility)	Year 1	100	200	100
	Year 2	200	400	200
	Year 3	300	600	300
	Year 4	400	800	400
	Year 5	500	1,000	500
	Year 6	-	1,200	600
(7) - Enclosures for Mobile, IT Hardware products and related devices	Year 1	100	200	120
	Year 2	200	400	240
	Year 3	300	600	360
	Year 4	400	800	480
	Year 5	500	1,000	600
	Year 6	-	1,200	720

Target segments	Year	Cumulative incremental investment threshold (in ₹ Cr)	Incremental sales threshold (in ₹ Cr)	Cumulative incremental employment threshold (in No.)
(8) - HDI/MSAP/ Flexible PCB	Year 1	200	200	200
	Year 2	400	400	400
	Year 3	600	600	600
	Year 4	800	800	800
	Year 5	1,000	1,000	1,000
	Year 6	-	1,200	1,200
(9) - SMD passive components	Year 1	50	75	100
	Year 2	100	150	200
	Year 3	150	225	300
	Year 4	200	300	400
	Year 5	250	375	500
	Year 6	-	450	600
(10) - Supply chain of sub-assemblies & bare components	-	10	Commencement of commercial production	10*
(11) - Capital goods used in electronics manufacturing including their sub-assemblies and components	-	10	Commencement of commercial production	20*

*It is indicative employment per crore of investment, the actual cumulative incremental employment threshold shall be corresponding to the cumulative incremental investment.